परिशिष्ट 1 : कांगड़ा वन सहकारी सभाओं विषयक पृथक पृथक विवरण

क्र संख्या	के.एफ.सी.एस. गांव	पंजीकरण का वर्ष	प्रबन्ध स्थानान्तरण की तिथि	के.एफ.सी.एस. की आयु 1973 में	आरक्षित वन	सीमांकित संरक्षित वन	असीमांकित संरक्षित वन		वनमाफी	शामलात	निजी बंजर भूमि	मलकीयत शामलात	कुलक्षेत्र
01-	ढलूं	04-12-41	26-09-41	32 o"kZ	-	317	546	-	-	-	-	-	863
02-	दनोआ	04-12-41	25-09-41	32	-	248	640	-	-	45	-	-	933
03-	अरला	04-12-41	26-09-41	32	-	262	509	-	-	-	-	-	771
04-	पनापरी	06-12-41	12-02-42	32	-	275	254	-	-	-	-	-	529
05-	भनाला	16-11-41	26-09-41	32	-	468	364	-	-	-	-	-	832
06-	बासा-हरियाला	20-01-42	21-09-41	31	134	-	-	156	-	-	-	-	290
07-	पनिआला	02-11-42	26-12-42	31	-	-	1299	-	-	-	158	-	1457
08-	परौर	15-03-42	26-09-41	31	-	98	248	-	-	-	-	-	346
09-	भगोटिया	05-09-42	10-02-43	31	-	-	-	96	41	36	-	-	173
10-	मूहल	05-11-42	25-12-42	31	-	-	287	-	-	-	-	-	287
11-	घन्दरान	05-11-42	28-07-43	31	-	-	935	-	-	-	-	-	935
12-	कुसमल	06-12-42	04-09-95	31	-	-	-	181	137	-	-	-	318
13-	गगल	26-06-42	19-09-42	31	-	440	736	-	-	-	-	-	1176
14-	घुरकड़ी	24-08-42	06-01-43	31	-	81	73	-	-	-	-	-	154
15-	लोधवां	26-09-42	05-01-43	31	-	969	2406	-	-	-	-	-	3375
16-	इन्दपुर	17-11-42	03-04-43	31	-	294	1106	-	-	-	-	-	1400
17-	सुलयाली	02-10-43	08-08-44	30	-	-	790	-	-	-	-	-	790
18-	पुन्नर दैहण	21-02-43	13-10-44	30	-	93	246	38	-	140	-	-	622
19-	अरला सलोह	22-02-43	18-05-43	30	-	&	271	35	-	-	-	-	306
20-	खलेट	22-02-43	12-04-43	30	-	101	93	58	-	-	-	-	252
21-	सिरत	14-03-43	14-09-43	30	43	-	-	363	-	-	-	-	406
22-	घदोरल	15-06-43	01-11-44	30	-	-	-	-	-	15	-	-	15

क्र संख्या	के.एफ.सी.एस. गांव	पंजीकरण का वर्ष	प्रबन्ध स्थानान्तरण की तिथि	के.एफ.सी.एस. की आयु 1973 में	आरक्षित वन	सीमांकित संरक्षित वन	असीमांकित संरक्षित वन		वनमाफी	शामलात	निजी बंजर भूमि	मलकीयत शामलात	कुलक्षेत्र
23-	पलोहरा	08-12-43	15-11-45	30	-	320	402	-	-	-	-	-	722
24-	लाहड्डू	14-12-43	15-11-44	30	-	137	445	-	-	-	-	-	682
25-	गुम्बर	21-12-43	03-05-46	30	400	-	1112	-	-	-	-	-	1512
26-	गहीण-लगोड़	17-04-44	10-03-45	29	199	-	-	2295	-	-	-	-	2494
27-	शाहपुर	17-06-44	15-11-44	29	-	187	548	-	-	-	-	-	735
28-	पाइसा	16-07-44	28-08-45	29	294	-	-	1718	-	-	-	-	2012
29-	रे	16-07-44	30-12-44	29	-	-	2684	-	-	-	-	-	2684
30-	सराह	12-01-44	07-08-44	29	-	134	451	-	-	-	-	-	585
31-	इन्दौरा	01-03-45	24-04-45	28	-	-	146	-	-	-	-	-	146
32-	सनौर	01-03-45	24-04-45	28	-	-	305	-	-	-	-	-	305
33-	सुनहेत	16-01-45	06-11-45	28	-	-	193	-	-	-	-	20	213
34-	भगनारा	16-01-45	24-04-45	28	130	-	-	400	-	-	-	-	530
35-	कुलाहन	16-01-45	24-04-45	28	-	-	214	-	-	-	-	-	214
36-	जाछ	02-02-45	02-12-45	28	-	300	100	-	-	-	-	-	400
37-	देहरा गोपीपुर	13-03-45	09-08-46	27	-	-	-	-	-	-	-	986	986
38-	झिकली कोठी	21-03-45	15-05-47	27	-	-	1386	-	-	-	-	-	1386
39-	घनियारा	21-03-45	21-10-45	28	-	11582	1099	-	-	-	-	54	12735
40-	घन्टोल	21-03-45	13-07-45	28	-	98	272	-	-	-	-	-	370
41-	बाड़ी	28-06-45	13-12-45	28	-	-	215	-	-	-	-	-	215
42-	घरो	30-07-45	16-04-46	27	-	333	683	-	-	-	-	-	1016
43-	सुधेड़	30-07-45	16-04-46	28	-	228	470	-	-	-	-	-	698
44-	भलेटा	30-07-46	26-03-46	28	-	-	204	-	-	-	-	-	204
45-	बड़ाला	16-01-46	08-03-47	27	-	-	223	-	-	-	-	-	223

46-	भटोली	02-01-46	08-03-47	27	–	–	45	–	–	–	10	–	55
47-	दयोठी	15-04-46	25-10-49	27	–	–	435	–	–	–	–	–	435
48-	राजा–खासा	15-04-46	27-10-50	27	–	–	540	–	–	–	–	–	540
49-	त्रिप्पल	07-02-46	26-10-49	27	151	–	–	1348	–	–	–	–	1499
50-	मरण्डा भंगियार	29-01-47	15-05-47	26	–	–	93	4	–	–	–	–	97
51-	मनियारा	16-04-47	09-12-48	26	–	256	528	–	–	–	–	–	784
52-	सुक्कड़	26-07-47	30-03-49	27	–	–	–	–	–	–	50	–	50
53-	खोली	19-01-49	18-02-50	24	–	102	268	–	–	–	–	–	370
54-	मनिग्राओं	04-08-49	22-08-50	24	–	49	64	–	–	–	20	–	133
55-	बड़ूखर	23-05-49	31-03-50	24	–	–	313	–	–	–	–	–	313
56-	चनौर	23-05-49	08-09-50	24	–	–	–	–	–	–	46	–	46
57-	रियाली	23-05-49	08-09-50	24	–	–	–	–	–	–	85	–	85
58-	सिद्धबाड़ी	06-05-49	01-12-49	24	–	–	262	–	–	–	–	–	262
59-	थाना	06-05-49	27-03-50	24	–	–	148	–	–	–	–	–	148
60-	योल	06-05-49	01-12-49	24	–	31	606	–	–	–	–	–	637
61-	हरिपुर	13-05-50	25-05-50	23	–	–	–	–	–	–	318	–	318
62-	पट्टी	27-07-50	14-07-50	23	–	52	63	–	–	–	–	–	115
63-	डोहब	24-10-50	28-12-50	23	–	–	–	–	–	–	136	–	136
64-	जलोट	18-11-50	22-05-51	23	–	–	632	–	–	–	–	–	632
65-	गोलवां	12-10-50	21-08-51	23	–	–	286	–	–	–	–	–	286
66-	सलोल	18-12-50	07-08-51	23	–	–	1632	–	–	–	–	–	1632
67-	घराना	09-03-51	07-09-51	22	–	–	178	–	–	–	–	–	178
68-	बलोटा	25-01-52	29-10-54	21	–	–	116	–	–	–	–	–	116
69-	डगेरा	25-01-52	22-08-52	21	–	–	336	–	–	–	–	–	336
70-	टटाण–खुर्द	25-10-53	19-02-53	20	–	239	1513	–	–	–	–	–	1782
	कुल	–	–	–	1351	17694	30013	6692	178	236	823	1060	58282

परिशिष्ट: 2 सहकारी वन सभा (सीमित) के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाला अनुबन्ध-पत्र (उर्दूमें)

मैं_____सपुत्र श्री_____
गांव _____डाकघर तहसील _____जिला सहकारी वन सभा (सीमित)_____ का सदस्य होने के नाते नीचे लिखी शर्तो का पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

1. मैं सभा के नियन्त्रण में रखे गए वनों के प्रबन्ध के लिए समय-समय पर बनाई गई व सभा द्वारा स्वीकृत, व पंजाब सरकार द्वारा इसी उद्देश्य से बनाए गए उपनियमों व नियमों के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना से आबद्ध रहुंगा और मै वचन देता हूँ कि कार्य योजना से प्रभावित होने वाली किसी सम्पति में अधिकार जिनका मैं स्वामी हूँ - वे सभा के अथवा पंजाब सरकार के अधीन कर दूंगा और वे सभा के अधिकारियों के माध्यम से सभी के नियमों व उपनियमों के अनुसार सभा के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगें । मै एक और सहमति देता हूँ कि मैं किसी भी क्षेत्र पर अपने अधिकार जिन्हें मैंने सभा के प्रशासनिक नियन्त्रण में दे दिया है - किसी गैर सदस्य को न स्थानान्तरित कंरूगा, न बेचूंगा, न गिरवी रखूगां और न दूंगा ।

2. मेरे द्वारा सभा के उपनियमों का उल्लंघन करने की सूरत में मैं सभा द्वारा इसके उपनियमों के अनुसार मुझ पर थोपा गया जुर्माना (100 रूपये से अधिक नहीं) देने का वचन देता हूँ ।

3. मेरी सदस्यता की समाप्ति की सूरत में मेरे भूमि पर अधिकार तब तक सभा के ही स्वामित्व में रहेंगे जब तक आगे निकाय के नियमित प्रस्ताव द्वारा मुक्त न किए जाएं ।

साक्षी

1.

2. _____
हस्ताक्षरित

परिशिष्ट 3: हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा वन सभाओं और संयुक्त वन प्रबन्ध के तुलनात्मक लक्षण (विशेषताएं)

विशेषताएं	कांगड़ा वन सहकारी सभाएं	संयुक्त वन प्रबन्ध
वन की किस्में	के.एफ.सी.एस. को सभी प्रकार के वनों, यथा आरक्षित वन, सीमाङ्कित वन, संरक्षित वन, असीमांङ्कित संरक्षित व अवर्गीकृत वनों के प्रबन्ध के अधिकृत किया गया था ।	बंजर और दुर्गति प्राप्त वन ही केवल ।
प्रबन्ध की इकाई	एक व्यवहारिक इकाई-समेत निजी स्वामित्व की भूमि के जो मालिक सभा के प्रबन्ध देना चाहे। राजस्व मौजा एक या एक से अधिक टीकें जो दो या दो से अधिक मौजों से लिए गए हो । छोटे मौजो पर बल दिया गया है ।	छोटे क्षेत्रों पर बल दिया गया है ।
आयु	आरम्भ में प्रयोग के रूप में पांच वर्ष के लिए बनाई गई फिर पुनर्वलोकन के बाद 1942 से 1973 तक चलती रही ।	आदेश में योजना की आयु का जिक्र नहीं है ।
भागीदारी की कसौटी	बन्दोवस्त के अनुसार अधिकार स्वामी, जो अधिकार स्वामी न हो भी सदस्य बन सकते हैं पर उन्हें सभा की आय में हिस्सा नहीं मिलता था क्योंकि वह अधिकार स्वामियों को ही दिए जाने का प्रावधान था ।	एक अधेड़ उम्र का मर्द और औरत प्रत्येक परिवार से वी.एफ.डी.सी. का सदस्य बन सकता है ।
लाभों की हिस्सा बांट	• 25 प्रतिशत बन्दोवस्त के मुताविक अधिकार स्वामियों को । • 25 प्रतिशत लाभ का वन विभाग को निरीक्षण शुल्क के रूप में । • 1 प्रतिशत रिजर्व निधि को । • 10 प्रतिशत वन सुधार निधि को । • 9 प्रतिशत समुदाय की भलाई के लए सामान्य भलाई निधि को । • 5 प्रतिशत सहकारी शिक्षा निधि बकाया सदस्यों में उनके अधिकारों के अनुपात में वितरण किया जाता था । इस तरह व्यक्तिगत आय के अधिकार की आज्ञा थी । नोट : अधिकार स्वामियों का हिस्सा उन द्वारा राजस्व विभाग को दिए जाने वाले राजस्व के अनुपात में तय होता है । मामला कहलाने वाला	अन्तिम फसल वसूली पर बिक्री से प्राप्त आय का 25 प्रतिशत वी.एफ.डी.सी. को दिया जाएगा और सामान्य निधि में रखा जाएगा - और वन मण्डल अधिकारी के परामर्श से और निकाय के अनुमोदन से गांव के विकास कार्यो पर खर्च किया जा सकता है । भोगाधिकार की वस्तुओं का वितरण बन्दोवस्त के अनुसार किया जाएगा यह वस्तुए हैं - ईधन की लकड़ी के अतिरिक्त वन उत्पाद । **बिरोजा** : यद्यपि आदेश में कोई जिक्र नहीं है, वर्तमान नीति बिरोजे से होने वाली आय में से वी.एफ.डी.सी. को हिस्सा देने की आज्ञा

विशेषताएं	कांगड़ा वन सहकारी सभाएं	संयुक्त वन प्रबन्ध
	यह राजस्व निजी भूमि की किस्म और परिणाम और इसकी आय संभावना पर आंका जाता है । मामला जितना अधिक हो उतना अधिक आय का हिस्सा सभा से मिलता था । सभी उपभोगाधिकार की वस्तुएं के.एफ.सी.एस. को नि:शुल्क मिलती थी । **बिरोजा** : वन विभाग द्वारा सेवा बिक्री से हुआ लाभ के.एफ.सी.एस. को मिला था । **खैर** : वन विभाग द्वारा पेड़ों की नीलामी से होने वाला लाभ 25 प्रतिशत जमींदारी हिस्से में जोड़ दिया जाता था ।	नहीं देती । **खैर** : आदेश में कोई जिक्र नहीं। हिस्सेदारी से निकाला गया-क्योंकि केवल दुर्गत वनों को ही जे.एफ. एम. में शामिल किया गया है । खैर की पैदावार वाले क्षेत्र जे.एफ. एम. के अन्तर्गत नहीं लाए जांएगे
गठन की प्रक्रिया	सभाओं के गठन के लिए विस्तृत नियम, प्रक्रियाएं और मार्गदर्शन-उपलब्धता कराकर यह सकेंत भी दिया गया है कि प्रक्रिया-बड़ी कड़ाई से अनुसरण न करके थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता था फिर भी यह सुझाव दिया गया है कि-सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया गांव के एक दौर में ही समाप्त हो जानी चाहिए-बिना किसी अवरोध के।	जे.एफ.एम. सम्बन्धी सरकारी आदेश ही मात्र मार्गदर्शन है । अधिसूचना की तिथि से लेकर 3 वर्ष में भी प्रक्रियाएं और नियम जारी नहीं किए गए हैं ।
संस्थागत मामले	सहकारिता और राजस्व विभाग के सहयोग और सम्बन्ध पर निर्भर ।	आदेश अथवा विशिष्ट विभागों पर लगभग कोई निर्भरता नहीं ।
समानता की चिन्ताएं	सदस्य बनने की पहुंच और आय के बंटवारे में समानता के तत्व की अवहेलना की जाती थी । मामला, ही आय में से मिलने वाले हिस्से को निर्धारित करता था और इसीलिए बड़े-2 भूमिपतियों को सभा से आय का बड़ा हिस्सा मिलता था ।	सदस्यता सभी परिवारों को उनके भूमिस्वामित्व की अपेक्षा के बना मिल सकती है । अन्त्योदय परिवार से सदस्य भर्ती करना अनिवार्य है सकारात्म-समर्थन मुहैया करता है ।
झगड़ों का समाधान	सहकारिता विभाग की भूमिका पर विचार करता है-जिसके कर्मचारी सभा के बीच या दो सभाओं के बीच पनपने वाले झगड़ों का या मतभेदों का समाधान करते थे ।	वन मण्डल अधिकारी सामान्य सदन के परामर्श से ऐसे मामले निबटाएगा । अपील सुनने का अधिकार अरण्यपाल के पास होगा और वह एक मास के भीतर निणर्य देगा इससे ऊपर अपील की गुंजाइश नहीं ।
विघटन अथवा विलय	योजना को हर कुछ वर्षो के उपरान्त वन विभाग अधिसूचित करता था । किन्तु 1973 के बाद इसे पुन: अधिसूचित नहीं किया गया । सहकारी	वन मण्डल अधिकारी को वी.एफ. डी.सी. का पंजीकरण रद्द करने का पूरा अधिकार है ।

विशेषताएं	कांगड़ा वन सहकारी सभाएं	संयुक्त वन प्रबन्ध
	सभाएं होने के कारण के.एफ.सी.एस. का विलय वन विभाग नहीं कर सकता ।	
लिंग सम्बन्धी मामले	निर्णय लेने की प्रक्रिया में और सदस्यता में महिलाओं की भागीदारी का कोई जिक्र नहीं था पितृ-सत्ता-प्रणाली के अनुसार सभी भूमियां मर्दो के नाम होती थी । महिलाओं की सदस्यता लगभग शून्य थी-क्योंकि मामला देने वाले अथवा जिनके नाम जमीन थी वही सदस्य बन सकते थे।	प्रत्येक सदस्य परिवार से एक महिला को सदस्यता मिलना 50 प्रतिशत महिलाओं की कार्यकारिणी में सदस्यता का प्रावधान है । एक महिला मण्डल सदस्य को भी कार्यकारिणी में सदस्य बनाना/मनोनीत करने की आज्ञा देता है ।
वित्तीय अनुदान	सभाओं को सहायक अनुदान का प्रावधान है ।	सरकारी आदेश में किसी प्रकार की वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है ।
वन प्रबन्ध	सभाओं के अन्तर्गत लाए गए वनों के लिए कार्ययोजना सभा के सदस्यों के परामर्श से बनाने का प्रावधान । प्रत्येक सभा के लिए पृथक कार्ययोजना और समेकित कार्ययोजना और सभी के.एफ.सी.एस. के लिए बनाना वन विभाग की जिम्मेदारी थी ।	समिति सदस्यों के सहयोग से एक प्रबन्ध योजना जे.एफ.एम. के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों के लिए बनाने का निर्देश है -कार्ययोजना की अवधि विशिष्टतया नहीं बताई गई
कानूनी स्थिति	कानूनी स्थिति-आरम्भ में पंजाब सहकारिता अधिनियम 1912 के अधीन थी - अब हि.प्र. के 1968 के अधिनियम के अधीन है ।	समितियां केवल वन मण्डल अधिकारी के पास करवाई जाती है और उसे वी.एफ.डी.सी. को विलय करने की शक्तियां प्राप्त है । और किसी अधिनियम के अधीन पंजीकरण का प्रावधान नहीं ।
कोरम	कार्यकारिणी समिति: सात से अधिक सदस्य न हों तो 3 सदस्य कोरम माने जाते थे जब कभी आवश्यकता हो तो बैठक आयोजित कर लेने का प्रावधान था ।	कार्यकारिणी समिति एक वर्ष में चार बैठके करना वांछित कोरम संख्या 50 प्रतिशत जो 9 से 12 तक हो सकती है ।
सामान्य निकाय	सामान्य निकाय के एक तिहाई सदस्य अथवा 30 सदस्य कोरम माने जाते है वर्ष में एक बैठक करना वांछित	वर्ष में दो बैठके करना वांछित 50 सदस्य संख्या कोरम माने गए है ।
प्रतिनिधित्व	विभन्न समूहों की वृहद-आधार वाले सहयोग को सुनिश्चित कने (समिति गठन या निर्णय लेने में) के बारे कोई विवरण नहीं	दिलचस्पी रखने वाले समूहों के छोटे वर्गो की गांव के बैठके-उनकी सदस्यता से भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मानी गई

विशेषताएं	कांगड़ा वन सहकारी सभाएं	संयुक्त वन प्रबन्ध
		हैं ।
सदस्य सचिव	सहकारी सभा अधिनियम के अनुसार सभा के सदस्यों द्वारा ही सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान था	वन रक्षक की पदेन सचिव माना गया है वन रक्षक के कर्त्तव्यों का विशेष विवरण नहीं दिया गया है।
सदस्यों के उत्तरदायित्व व कर्त्तत्य	कार्ययोजना के अनुसार सभा के अन्तर्गत आने वाले वनों में वनरोपण करने, सुधार लाने, संरक्षण करने व प्रबन्ध करके की जिम्मेवारी-भूक्षरण को रोकना व-सदस्यों के पूर्ण लाभ के लिए वन उत्पादों का सदुपयोग पर विशेष बल दिया गया है- इसके साथ जिम्मेवारियों में सहकारिता सिद्धान्तों पर प्रक्रियाओं सम्बन्धी जानकारी का प्रसारण भी शामिल है ।	वन-विभाग की वनरोपण में सहायता करना-कार्ययोजना का पालन करना, वन प्रबन्ध-भोगाधिकार की वस्तुओं को सदस्यों में बांटना व झगड़ों का निपटारा करना मुख्य जिम्मेंवारियां ।

लेखक के विषय में

राजीव अहल का जन्म, अपने पैतृक गांव पपरोला, तहसील-बैजनाथ, जिला-कांगड़ा, हि.प्र. में सन् 1964 ई. में हुआ । उन्होंने इलैक्ट्रिकल इंजनीयरिंग में स्नातक की डिग्री दिल्ली से 1987 में प्राप्त की । वह पर्यावरण एवं ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत है । 1994 से वह, आन्दोलनकर्त्ताओं, विद्वानों और स्वंयसेवी संस्थाओं को राज्य स्तर पर गतिशील करने में लगे हैं । यह कार्य नवरचना नामक मंच के माध्यम से किया जा रहा है । नवरचना एक राज्य स्तरीय मंच है, जिसमें सहभागी और सामुदायिक-अभिशासन प्रक्रियाओं को मजबूत करने और टिकाऊ-प्राकृतिक-संसाधन प्रबन्ध में जुटे लोगों और संस्थाएं शामिल है। उन्होंने "समृद्धि" नामक महिला-सहकारी सभा के निर्माण और गठन में भी सहयोग किया है । इस सहकारी सभा द्वारा हि.प्र. के दो जिलों में गरीब और सीमान्त महिलाएं आस-पास के फालतू वन उत्पादों पर आधारित सफल व उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर व्यावसायिक उपक्रम चला रही है, जिससे उन महिलाओं का सशक्तिकरण तो हुआ ही है, आजीविका भी प्राप्त हो रही है ।